



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbalodabazar.ac.in



क्रमांक 506 / स्था. / 2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

श्री जयशंकर प्रसाद साहू

पिता - श्री खीखराम साहू

ग्राम-टेंगाकछार, पोस्ट-धनसीर, ब्लाक-बिलाईगढ़

जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) पिन नंबर -493338

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।


संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024,
दिनांक 06/07/2024।

---00---

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय भौतिकी में रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्तें :-

- मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रूपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
- इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
- कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
- प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
- शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
- आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।



(डॉ. ए. आर. सी. जेम्स)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbbalodabazar.ac.in



क्रमांक 507/स्था./2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

श्री तरुण कुमार पाटले

पिता - श्री चंपालाल

मकान नं. 244/1, बचपन प्ले स्कूल के पास, देवरीखुर्द

जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495004

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।

संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024,
दिनांक 06/07/2024।

—00—

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय रसायनशास्त्र में रिक्त प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्तें :-

1. मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रूपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(डा.ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbbalodabazar.ac.in



क्रमांक 508 / स्था. / 2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12 / 08 / 2024

प्रति,

श्री प्रियांशु शर्मा

पिता - श्री राजू लाल शर्मा

म.नं. 1 / 24, ग्राम- बिपतारा,

जिला- कवर्धा (छ.ग.)

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।

संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024,
दिनांक 06 / 07 / 2024।

---00---

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय कम्प्यूटर साईंस में रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्त :-

1. मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40 / 45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रूपये 400 / - प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान / पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600 / - देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600 / - की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50 / - के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दातिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(डॉ. ए. आर. सी. जैस)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)



E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcebalodabazar.ac.in

क्रमांक 509 /स्था./2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

श्री सेवकदास वैष्णव

पिता - श्री दीनबंधु दास वैष्णव

ग्राम-लितईपाली, पोस्ट-नवरंगपुर,

जिला- रायगढ़ (छ.ग.) 496001

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।

संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024,
दिनांक 06 / 07 / 2024।

—00—

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन में रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्त :-

1. मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रुपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(डॉ. ए. आर. सी. जेम्स)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbalodabazar.ac.in



क्रमांक 510 /स्था./2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

डॉ. ख्याती शर्मा

पिता – श्री पीयूष शर्मा

प्रोफेसर कॉलोनी, स्ट्रीट 03, सेक्टर 02, निखार ब्यूटीपार्लर के पास

जिला-रायपुर (छ.ग.) 492001

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।


संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024,
दिनांक 06/07/2024।

—00—

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय **क्रीड़ा अधिकारी** में रिक्त **क्रीड़ा अधिकारी** के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्त :-

1. मानदेय – शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रुपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(डॉ. ए.आर.सी. जेम्स)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)



E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbalodabazar.ac.in

क्रमांक 511 /स्था./ 2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

डॉ. हरिप्रकाश सोनवानी

पिता - श्री शैल कुमार

ग्राम-ढाबा, पोस्ट-लिमतरा, थाना-कुम्हारी,

जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।


संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024,
दिनांक 06/07/2024।

---00---

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय समाजशास्त्र में रिक्त प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्त :-

1. मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रूपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(डॉ. ए.आर.सी. जेम्स)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbalodabazar.ac.in



क्रमांक 512 / स्था. / 2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

सुश्री नंदनी सोनी

पिता - श्री सुंदर लाल सोनी

प्लॉट नं-839, डॉ.आर.पी. नगर फेज-1,

जिला - कोरबा (छ.ग.) 495677

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।

संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024,
दिनांक 06/07/2024।

—00—

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय वाणिज्य में रिक्त प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्तें :-

1. मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रूपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(डॉ.ए.आर.सी.जैस)

प्राचार्य

शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय दारु कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

E-mail- dkcollegebaloda18@gmail.com

Website-gdkcbalodabazar.ac.in



क्रमांक 513 / स्था. / 2024-25

बलौदाबाजार, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

श्री पूर्णेन्द्र देवांगन

पिता - श्री छोटू देवांगन

वार्ड नं. 04, महामाया पारा, नवागढ़,

जिला- बेमेतरा (छ.ग.) 491337

विषय :- अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण पत्र।


संदर्भ :- उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024,
दिनांक 06/07/2024।

—00—

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा आपके आवेदन के अनुक्रम में महाविद्यालय में विषय गणित में रिक्त प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्यान कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अन्य शर्त :-

1. मानदेय - शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय रूपये 400/- प्रति व्याख्यान देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड का मानदेय प्रतिदिन 1600/- देय होगा जो प्रतिमाह अधिकतम रु. 41600/- की सीमा के अधीन होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपकी नियुक्ति (अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं) भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप में रु.50/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना हेतु 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैध्दांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है।
6. शासन के निर्देशानुसार आपको प्रतिदिन संस्था में निर्धारित समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
7. 15 दिवस बिना सूचना या 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
8. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(डॉ.ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास.दारु कल्याण कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छ.ग.)